

कार्यालय जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी, बांदा।

विज्ञापित संख्या:- 1865 / व्यवस्थापन/बांदा/2020-21

दिनांक.....25-01-2020

विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या-11/2020/155 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-26444/दस-लाईसेंस-367/आबकारी नीति /2020-21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बांदा में वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 26.01.2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों की नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 (पूर्वाह्न 11:00) से दिनांक 03.02.2020 (पूर्वाह्न 11:00) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18.03.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों की ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानोंकी सूची अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद बांदा की वेबसाइट www.banda.nic.in विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।


(संतोष कुमार) 20

जिला आबकारी अधिकारी,
बांदा

(हीरा लाल)

जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी
बांदा

संख्या 1866-67/तददिनांक

प्रतिलिपि : सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण और अमर उजाला को इस आशय से कि न्यूनतम स्थान में बांदा वाले पृष्ठ में राजकीय दर पर प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।


(संतोष कुमार) 20

जिला आबकारी अधिकारी,
बांदा।